**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 575 OF 2025**

**THE MATTER OF:**

**PAWAN BIHARI** …….**PETITIONER**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. & Ors.** ….**RESPONDENTS**

**INDEX**

**NDOH : 13.01.2026**



| **S. No.** | **Particulars** | **Pages** |
|---|---|---|
| 1. | Response Affidavit On Behalf Of Uttar Pradesh Pollution Control Board (Respondent No.4), In Compliance With The Order Dated 25.11.2025 Passed By The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi | |
| 2. | **Annexure- 1**<br>A detailed Joint Committee Report along with its respective annexures | |



Respondent No.4

Through Harshita Raghuvanshi


**(HARSHITA RAGHUVANSHI)**
Advocate for the Respondent No.4,
Chamber No. 439, 4th Floor,
Block D, Additional Building Complex,
Supreme Court, New Delhi-01


Dated: 12.01.2026
New Delhi


Mobile No. 8090217309
E-mail: harshitaraghuvanshi@hotmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 575 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

**PAWAN BIHARI** **...Applicant**

**Versus**

**STATE OF U.P. & ORS.** **...Respondents**

**RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 25.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Pankaj Yadav aged about 44 years, S/o Shri Lalmani Yadav presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Mathura do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That the grievance raised in the present matter is regarding functioning of illegal brick kiln namely M/s Chaudhary Digambar Singh Ent Udyog from 2021 in Village-Inayatya Bangar, Tehsil-Mant, District-Mathura, U.P. by Chaudhary Satyapal Singh S/o Shri Digambar Singh. It is further alleged

NOTARY Mohammad Ali Advocate Coll Compound Mathura U.P Regn. N 9463 GOVT. OF INDIA
Mohammad Ali Advocate Notary Public, Mathura
Scanned with OKEN Scanner

by the applicant that the brick kiln in question is established on khasara no.-87 instead of khasara no.-79 wherefore the consent to establishment (CTE) has been issued.

3. That the present matter was taken up by this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) on 24.11.2025 when this Hon'ble Tribunal upon considering the grievance in question was pleased to pass the following direction:

"...4. *In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal 3 Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P. (2) District Magistrate, Mathura (3) Central Pollution Control Board through Member Secretary (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary (5) and M/s Ch. Digambar Singh Int Udyog, Khasra no. 87, Inayatgarh, Bangar, Tehsil Mat. District Mathura, Uttar Pradesh who stand impleaded as respondents No. 1 to 5.*

5. *The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 5 requiring them to file their replies/responses within one month.*

6. ****

7. *In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, UPPCB and District Magistrate, Mathura and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course*

NOTARY
Mohammad Ali Advocate
167 Coll Compound
Mathura U.P
Regn. N 9463
GOVT. OF INDIA

Mohammad Ali
Advocate
Notary Public, Mathura

Scanned with OKEN Scanner

*of law and submit its report within one month. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance..."*

4. That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal the constituted joint committee comprising the representatives of District Magistrate Mathura, CPCB and UPPCB has undertaken the site visit on 05.01.2025 to verify the factual position and carried out the inspection. During the course of an inspection the representative of the brick kiln was present.

   A detailed Joint Committee Report along with its respective annexures is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/1**.

NOTARY
Mohammad Ali Advocate
Coll Compound
Mathura U.P
Regn. N 9463
GOVT. OF INDIA

Mohammad Ali
Advocate
Notary Public, Mathura

5. That during the course of inspection the brick kiln in question found closed in compliance to the closure order 11.02.2023 issued by the UPPCB. At the course of an inspection the site Geo-Coordinates were obtained, which were found to be latitude 27.826611 and longitude 77.620987. The brick kiln was also found to be based on a zig-zag technology and chimney approximately 30 meter high with a porthole platform was found in the furnace.

6. That it is also pertinent to mention here that the UPPCB has issued a no objection certificate in favour of the brick kiln in question for establishing in regard to the khasara no.-79A but as per the inspection report sent by the Naib Teshildar, Tehsil-Maant the chimney of the said brick kiln is found

Scanned with OKEN Scanner

established at khasara no.-87/1, Village-Inayatgarh Bangar, Tehsil-Maant, Mathura. The said report is already been annexed as annexure no.-8 of the report.

That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

**DEPONENT**

NOTARY
Mohammad Ali Advocate
Civil Compound
Mathura U.P
Regn. N 9463
GOVT. OF INDIA

Mohammad Ali
Advocate
Notary Public, Mathura

**VERIFICATION:**

Verified at Mathura on this the 10 day of January, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**

The Contents of the Affidavit Documents
Read over and Explained to Shri...Pankaj Yadav
who is Identified by Shri...Ranjeet Singh
& on Oath Attested to Day on...10/1/26
at my office & noted down in the notarial
Register at No...167...
and Charges Fees Rs...
Mohammad Ali Advocate
Notary Public, Mathura

I Know Shri/Smt....Pankaj Yadav
He Has Sign./Thumb
Impression before me.
Identifie

Scanned with OKEN Scanner

# क्षेत्रीय कार्यालय,
# उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

**REGIONAL OFFICE,**
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA**

संदर्भ सं./Ref. 1133/O-127/2026 दिनांक/Date 07/01/2026

सेवा मे,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी ( वृत्त-4)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी०सी०-12वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010

**विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0-575/2025 ''पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य'' में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के संबंध मे।**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के संबंध मे प्रश्नगत ईंट भटठे का स्थलीय निरीक्षण सयुंक्त रूप से दिनांक 05/01/2026 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षत्रिय अधिकारी

प्रतिलिपि :- मुख्य विधि अधिकारी ( प्रभारी ) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षत्रिय अधिकारी



Scanned with OKEN Scanner

Annexure R4/1

**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.11.2025 के सम्बन्ध में।**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.11.2025 के अनुपालन में संदर्भित ईंट भट्ठा मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परियोजना कार्यालय, आगरा के प्रतिनिधि श्री अंकुर तिवारी, वैज्ञानिक-ई, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के प्रतिनिधि श्री रणजीत कुमार, अनुश्रवण सहायक एवं उप जिलाधिकारी, तहसील-मांट, मथुरा के प्रतिनिधि श्री राकेश उपाध्याय, नायब तहसीलदार की उपस्थिति में संयुक्त रूप से दिनांक-05.01.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री संजीव चौधरी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। विस्तृत आख्या निम्नवत् है।

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईंट भट्ठे द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रथम बार आवेदन दिनांक-29.10.2020 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसे सूचनाओं के अभाव में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-02.12.2020 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था **(संलग्नक-1)**।
2. निरीक्षण दिनाँक 05/01/2026 के समय स्थल का जियो कोऑर्डिनेट लिया गया, जिसका अक्षांश-27.826611 एवं देशान्तर-77.620987 पाया गया। उक्त ईंट भट्ठा जिग-जैग पद्वति पर आधारित पाया गया तथा भट्ठे में पोर्ट होल प्लेटफार्म के साथ लगभग 30 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी।
3. ईंट भट्ठे द्वारा पुनः अपने आवेदन पत्र दिनांक-20.07.2021 के माध्यम से ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक-10.12.2020 द्वारा कुल 09 बिन्दुओं पर चिमनी से दूरियां भू-राजस्व अभिलेखों से मापित/प्रमाणित कराकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति उप जिलाधिकारी मांट, जनपद-मथुरा को भी प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में उप जिलाधिकारी मांट, जनपद-मथुरा के पत्र सं0-225/एस.टी./2021 दिनांक-17.07.2021 के माध्यम से दूरी के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-27.07.2021 के माध्यम से मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग को खसरा सं0-79 ए, ग्राम-फिरोजपुर बांगर, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गयी थी **(संलग्नक-2)**।
4. ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण राज्य बोर्ड के कार्मिकों द्वारा दिनांक-11.01.2023 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे से 400 मी0 की दूरी पर ग्राम-इनायतगढ स्थित होने के कारण ईंट भट्ठे का स्थल ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप न पाये जाने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक किये जाने सम्बन्धी आख्या प्रस्तुत की गयी। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक-16.01.2023 के माध्यम से मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0-79ए, ग्राम-फिरोजपुर बांगर, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा को 01 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। ईंट भट्ठे से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-27.07.2021 के माध्यम से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को इस कार्यालय के पत्र दिनांक-07.02.2023 के माध्यम से रिवोक कर दिया गया तथा ईंट भट्ठे को निर्देशित किया गया कि बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये ईंट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न किया जाये **(संलग्नक-3)**।
5. संदर्भित ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र सं0-एच 88984/सी-4/सा-II-759/बन्दी/2022-23 दिनांक-11.02.2023 के माध्यम से जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है **(संलग्नक-4)**।
6. .ईंट भट्ठे के विरूद्व प्राप्त शिकायत, जो जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के स्टार संदर्भ सं0-622 दिनांक-09.02.2023 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक-14.02.2023 को प्राप्त हुआ था। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक-15.02.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश की प्रति संलग्न कर पत्र प्रेषित किया गया था **(संलग्नक-5)**।
7. ईंट भट्ठे के विरूद्व दिनांक-09.05.2025 के माध्यम से इस कार्यालय में पुनः शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक-27.05.2025 के माध्यम से संदर्भित ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति प्राप्त किये किसी भी दशा में न किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित की गयी थी **(संलग्नक-6)**।
8. ईंट भट्ठे के विरूद्व पुनः दिनांक-12.11.2025 द्वारा आई0एम0एस0 संदर्भ सं0-788190069 के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक-18.12.2025 के माध्यम से संदर्भित ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश के अनुपालन में भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था **(संलग्नक-7)**।
9. ईंट भट्ठे के विरूद्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0-575/2025 "पवन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य" में योजित केस में शिकायतकर्ता श्री पवन बिहारी द्वारा शिकायत की गयी है कि संदर्भित ईंट भट्ठे को खसरा सं0-79ए, ग्राम-फिरोजपुर बांगर, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा पर एन0ओ0सी0 जारी की गयी है, जबकि ईंट भट्ठे की स्थापना खसरा सं0-87, इनायतगढ बांगर में की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-1085/एनओसी-2015/2025 दिनांक-

22.12.2025 के माध्यम से संदर्भित ईंट भट्ठे की चिमनी किस खसरा संख्या में है, की जांच कराये जाने सम्बन्धी पत्र उप जिलाधिकारी, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा को प्रेषित किया गया था। ततक्रम मे नायाब तहसीलदार की पृथक आख्या उपजिलाधिकारी मांट, जनपद-मथुरा के माध्यम से दिनांक 07/01/2026 को प्राप्त हुयी है। प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत चिमनी खसरा संख्या 87/1 ग्राम इनायतगढ़ बांगर, तहसील माँट, मथुरा मे स्थित है। **(संलग्नक-8)**।

10. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईंट भट्ठे का स्थापना खसरा सं0-79 ए, ग्राम-फिरोजपुर बांगर, तहसील-मांट, जनपद-मथुरा पर न करके नियम विरुद्ध खसरा संख्या 87/1 ग्राम इनायतगढ़ बांगर, तहसील माँट, मथुरा पर की गयी है। ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-27.07.2021 के माध्यम से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को बोर्ड के पत्र दिनांक-07.02.2023 के माध्यम से रिवोक किया गया है तथा ईंट भट्ठे के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र सं0-एच 88984/सी-4/सा-II-759/बन्दी/2022-23 दिनांक-11.02.2023 के माध्यम से बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

**(रणजीत कुमार)**
अनुश्रवण सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा

**(राकेश उपाध्याय)**
नायब तहसीलदार,
तहसील माट
जनपद मथुरा

**(अंकुर तिवारी)**
वैज्ञानिक-ई,
परियोजना कार्यालय,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,आगरा

**<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>**

Annexure -1

# U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

**Ref No. - 108767/UPPCB/Mathura(LAB)/CTE/MATHURA/2020** **Dated : 02/12/2020**

**To ,**

M/S DEEPAK KUMARI
CHAUDHARY DIGAMBAR SINGH ENT UDYOG
GATA N0-151, GATA N087/1, KHASRA N0-79/F, MAUJA -FIROJPUR BANGAR, INAYAT GARH, TEHSIL-MAANT,MATHURA,281203
MATHURA

**Sub : Consent To Establish( C.T.E ) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Pollution ofcontrol) Act, 1974 as amended and section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended**

Kindly refer to your application for Consent to Establish (C.T.E) dated 29/10/2020 received on 29/10/2020 for the proposed Project of CHAUDHARY DIGAMBAR SINGH ENT UDYOG Expansion of Existing Unit/ Modernization/diversification of existing plant at GATA N0-151, GATA N087/1, KHASRA N0-79/F, MAUJA -FIROJPUR BANGAR, INAYAT GARH, TEHSIL-MAANT,MATHURA,281203 under section 25/26 of Water (Prevention & Pollution of Control) Act 1974 as amended and section 21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act, 1981 as amended.. Your Consent to Establish application is hereby Refused due to following reasons :

**Reason:**
Project report and land uses paper is not submitted.

The Consent To Establish (C.T.E ) Application under section 25/26 of The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended and section 21/22 of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 as amended, is hereby refused and you are hereby informed to comply the mandatory provisions of aforesaid acts.

Arvind Kumar Digitally signed by Arvind Kumar Date: 2020.12.02 18:28:49 +05'30'

( Authorized Signatory )

Arvind Kumar
Regional Officer

**Copy To -**

Chief Environmental Officer (Circle-4), U.P. Pollution Control Board, Lucknow

Arvind Kumar Digitally signed by Arvind Kumar Date: 2020.12.02 18:29:21 +05'30'

**Consent to Establish (No Objection Certificate) Form**

Application for Consent To Establish

Note: 1. All enclosures, appendices, projects, plans and scheme to be submitted in triplicate.

2.Incomplete application will be rejected.

3.No work pertaining to site development or construction of industry be undertaken without NOC doing so would be the sole responsibility of the applicant and against public interest.

Dated
29/10/2020

From ,
CHAUDHARY DIGAMBAR SINGH ENT UDYOG, GATA N0-151, GATA N087/1, KHASRA N0-79/F, MAUJA -FIROJPUR BANGAR, INAYAT GARH, TEHSIL-MAANT,MATHURA,281203
City:MATHURA
Block:Mat
District:MATHURA

NOC
2015

To ,
The Members Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
T.C.12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow(226010).

Sir,
I/We M/s CHAUDHARY DIGAMBAR SINGH ENT UDYOG (name of proposed unit), whose owner is Mr./Mrs. DEEPAK KUMARI hereby apply for Consent To Establish (NOC) from pollution and Environmental angle for proposed production of BRICK KLINE 20,000/DAY per/day by use of main raw material WOOD, MUD, SAND, TOORI, COAL ETC per/day at proposed land COMMERCIAL . The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.

1. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
2. I/We hereby guarantee that quality of final discharge of effluent and emissions will be within the prescribed standards of the Board. The trial production will be started only after implementing and operating the pollution control advices as proposed herein.
3. I/We hereby guarantee that quality of final discharge of effluent and emissions will be within the prescribed standards of the Board. The trial production will be started only after implementing and operating the pollution control advices as proposed herein.
4. I/We undertake that I/we will apply for seeking consent under section 25/26 of Water Act and consent under section-21 of the Air Act at least two months before start of trial and comply with the Water Cess Act-1977.
5. I/We declare that the provisions of these Acts have been known to me/us.
6. I/We accept that the application is for proposals submitted and if the site is not approved then the final decision of Board will be accepted.

**Yours faithfully,**

## Consent to Establish (No Objection Certificate) Form

Application for Consent To Establish

Note: 1. All enclosures, appendices, projects, plans and scheme to be submitted in triplicate.
2.Incomplete application will be rejected.
3.No work pertaining to site development or construction of industry be undertaken without NOC doing so would be the sole responsibility of the applicant and against public interest.

From ,
M/S CHAUDHARY DIGAMBAR SINGH ENT UDYOG, GATA N0-151, GATA N0-87/1, KHASRA N0-79/F, MAUJA -FIROJPUR BANGAR, INAYAT GARH, TEHSIL-MAANT,MATHURA,281203
City:mathura
Block:Mat
District:MATHURA

Dated
04/12/2020

To ,
The Members Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
T.C.12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow(226010).

Sir,
I/We M/s M/S CHAUDHARY DIGAMBAR SINGH ENT UDYOG (name of proposed unit), whose owner is Mr./Mrs. DEEPAK KUMARI hereby apply for Consent To Establish (NOC) from pollution and Environmental angle for proposed production of BRICK KLINE 20,000/DAY per/day by use of main raw material WOOD, MUD, SAND, TOORI, COAL ETC per/day at proposed land COMMERCIAL . The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.

1. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
2. I/We hereby guarantee that quality of final discharge of effluent and emissions will be within the prescribed standards of the Board. The trial production will be started only after implementing and operating the pollution control advices as proposed herein.
3. I/We hereby guarantee that quality of final discharge of effluent and emissions will be within the prescribed standards of the Board. The trial production will be started only after implementing and operating the pollution control advices as proposed herein.
4. I/We undertake that I/we will apply for seeking consent under section 25/26 of Water Act and consent under section-21 of the Air Act at least two months before start of trial and comply with the Water Cess Act-1977.
5. I/We declare that the provisions of these Acts have been known to me/us.
6. I/We accept that the application is for proposals submitted and if the site is not approved then the final decision of Board will be accepted.

**Yours faithfully,**

क्षेत्रीय कायोलय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा।

पत्रांकः 800/ NOC-2015/2020 दिनांक 10/12/2020

सेवा में,

मैं0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग,
द्वारा श्रीमती दीपक कुमारी,
खसरा सं0–79/एफ, मौजा–फीरोजपुर बांगर, इनायतगढ,
तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा।

**प्रस्तावित स्थल–** खसरा सं0–79/एफ, मौजा–फीरोजपुर बांगर, इनायतगढ, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा।

विषयः **नये ईंट भट्ठे के स्थापनार्थ पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोंण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आन लाइन आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आपको पूर्व में इस कार्यालय में सम्पर्क के समय अवगत कराया जा चुका है कि उ0प्र0 शासन के पर्यावरण अनुभाग द्वारा अधिसूचना सं0–921/55–पर्या/12–94(पर्या)/11, दिनांक 27.06.2012 को नये ईंट भट्ठे की स्थापना हेतु गाईड लाइन्स तैयार/निर्धारित की जा चुकी है। आप द्वारा ईंट भट्ठे के स्थापनार्थ प्रस्तावित चिमनी हेतु चयनित स्थल का केवल खसरा/अराजी नम्बर दिया गया है, जबकि प्रस्तावित चिमनी की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए चिमनी का जियो कोआर्डिनेट अर्थात अक्षॉश व देशान्तर नहीं दिया गया है। अतः चयनित स्थल पर चिमनी की वास्तविक स्थिति (जियो को आर्डिनेट सहित) को केन्द्र मानते हुए इस आशय का नोटेराइज्ड शपथ पत्र कि चयनित स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा नये भट्ठे के स्थापनार्थ निर्मित गाइड लाइन के अनुरूप है तथा निम्नलिखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए चयनित स्थल ईंट भट्ठे के स्थापनार्थ उचित है साथ ही साथ ईंट भट्टे से होने वाले फ्लू गैस उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जिग जैक सिस्टम के सम्बन्ध में अधिकृत संस्था द्वारा निर्मित प्रस्ताव व समयबद्ध कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाये।

1. नगर परिषद अथवा नगर निगम की सीमा से 05 किलोमीटर की दूरी के पश्चात ही स्थापित किया जायेगा।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त 100–150 व्यक्तियों की आबादी अथवा 20 घरों की आबादी से 500 मी0 दूर ही स्थापित किया जायेगा।
3. 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक आबादी से 1.0 किलोमीटर दूर ही स्थापित किया जायेगा।
4. रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया जाता है, से 1.0 किलोमीटर दूर ही स्थापित किया जायेगा। ईंट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतों, म्यूजियम और इनके सदृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।
5. रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मी0 दूर ही स्थापित किया जायेगा।
6. राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग के किनारों से 300 मी0 दूर ही स्थापित किया जायेगा।
7. मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के किनारों से 100 मी0 दूर ही स्थापित किया जायेगा।
8. ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईंट भट्ठे से 800 मी0 दूर ही स्थापित किया जायेगा।
9. आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से प्रत्येक दिशा में 800 मी0 दूर ही स्थापित किया जायेगा। उल्लेखित दूरी फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

**नोटः–** उपरोक्त दूरियों के सत्यापन हेतु ईंट भट्ठे की चिमनी (जियो को आर्डिनेट सहित) को केन्द्र मानकरके समस्त सीधी दूरियां (एअर डिस्टेन्स) मापी जायेंगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के सापेक्ष आप अपने प्रस्तावित स्थल पर स्थापित होने वाली चिमनी (जियो को आर्डिनेट सहित) से दूरियाँ भू–राजस्व अभिलेखों से मापित/प्रमाणित कराकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करें। ताकि आपके अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः उप जिलाधिकारी, मॉट, जनपद–मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे के प्रस्तावित स्थल पर स्थापित होने वाले चिमनी की जियो को आर्डिनेट (अक्षांश व देशान्तर) को केन्द्र मानकर उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं से सीधी दूरी (एअर डिस्टेन्स) का सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चिमनी के जियो को आर्डिनेट के सम्बन्ध में सूचना ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से प्राप्त करके उक्त बिन्दुओं पर दूरी का सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराकर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

o/c

क्षेत्रीय अधिकारी

महोदय

संलग्न पत्रांक 122/NOC-2015/2021 दिनांक 16.6.2021 बावत मै० चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग द्वारा श्रीमती प्रियंका चौधरी द्वारा मौजा-इनायतगढ़ बांगर तह-मांट स्थित भूमि खसरा सं. 793 रकवा 0.809 हे० में नये ईंट भट्ठे की स्थापनार्थ पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न साक्ष्यों के अनुसार स्थलीय आख्या निम्नवत है :-

1- प्रस्तावित भूमि नगर पंचायत/नगर निगम की सीमा से 05 कि०मी० से अधिक दूर है।

2- प्रस्तावित भूमि 100-150 व्यक्तियों की आबादी अथवा बीस घरों की आबादी से 500 मी० दूर स्थित है।

3- प्रस्तावित भूमि 150 व्यक्तियों की आबादी अथवा 20 घरों से [illegible] नहीं है।

4- रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत तथा धार्मिक स्थल, पशु मण्डारण स्थल से 1.0 कि०मी० दूर स्थित है। प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐतिहासिक इमारत, म्यूजियम से 5.0 कि०मी० से अधिक दूर स्थित है।

5. प्रस्तावित स्थल के 200 मी० की परिधि में कोई रेलवे ट्रैक नहीं है।

6. प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग के किनारे से 300 मी० से अधिक दूर स्थित है।

7. प्रस्तावित स्थल मुख्य जिला रोड/लोक निर्माण विभाग के किनारे से 100 मी० से अधिक दूर स्थित है।

8- प्रस्तावित स्थल के 800 मी० परिधि में ईंट भट्ठा संचालित नहीं है।

9. प्रस्तावित स्थल की 800 मी० परिधि में बाग, आम के बगीचे, नर्सरी (100 फलदार वृक्ष) फल का बाग रकबा 2.5 एकड़ नहीं है।

10. स्थिति प्रस्तावित भट्ठे का सत्यापन की है।

उपरोक्त आख्यानुसार मै० चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग द्वारा श्रीमती प्रियंका चौधरी ग्राम मौजा-इनायतगढ़ बांगर स्थित खसरा सं. 793 में बाद निरीक्षण दि० 18.6.21 के नवीन ईंट भट्ठे के स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

13/7/21

अग्रेषित

13.7.2021

तहसीलदार

प्राप्त कि० 20/07/2021

कार्यालय उपजिलाधिकारी मांट, मथुरा।
पत्रांक सं0 /एस.टी/2021 दिनांक 17.07..2021

**क्षेत्रीय अधिकारी,**
**उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**65 ए बल्देवपुरी महोली रोड मथुरा।**

विषय– अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 122/एन0ओ0सी0–2015/2021 दिनांक 16.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 चौधरी दिगम्बरसिह ईट उद्योग द्वारा श्रीमती प्रियंका चौधरी, खसरा सं0 79 अ ग्राम फिरोजपुर बांगर, तहसील– मांट जनपद– मथुरा के भठठे के प्रस्तावित स्थल से पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर दूरी का सत्यापन कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार मांट से बिन्दुवार जॉच आख्या ली गई। तहसीलदार मांट की प्राप्त जॉच आख्या दिनांक 13.07.2021 संलग्न कर मय नजरी नक्शा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि ।

17/7/21

(रामदत्त राम)
उपजिलाधिकारी मॉट,
मथुरा।

Annexure -2

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**
**Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com**

**Validity Period :20/07/2021 To 31/07/2022**

Ref No. -
132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021

Dated:- 27/07/2021

To ,

Shri PRIYANKA CHAUDHARY
M/s M/S CHAUDHARY DIGAMBAR SINGH ENT UDYOG
KHASRA N0- 79 A, VILLAGE-FIROJPUR BANGAR, TEHSIL-MAANT,MATHURA,281203
MATHURA

Sub : **Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.**

Please refer to your Application Form No.- 12872177 dated - 20/07/2021. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :
   A- Site along with geo-coordinates :
   B- Main Raw Material :

| Main Raw Material Details | | |
|---|---|---|
| **Name of Raw Material** | **Raw Material Unit Name** | **Raw Material Quantity** |
| MUD, WATER, SAND, WOOD,COAL TOORI ETC | Numbers/Day | |

C- Product with capacity :

| Product Detail | |
|---|---|
| **Name of Product** | **Product Quantity** |
| BRICK KLINE 20,000/DAY | 20000 |

D- By-Product if any with capacity :

| By Product Detail | | | |
|---|---|---|---|
| **Name of By Product** | **Unit Name** | **Licence Product Capacity** | **Install Product Capacity** |
| N/A | Metric Tonnes/Month | 0.0 | 0.0 |

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

| Source of Water Details | | |
|---|---|---|
| **Source Type** | **Name of Source** | **Quantity (KL/D)** |
| Ground Water (within premises) | SUBMERSIBLE PUMP | 2.0 |

3. Quantity of effluent (In KLD) :

# ईंट भट्ठों की निरीक्षण आख्या

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ईंट भट्ठे का नाम | मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईट उद्योग, खसरा सं0–79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, मथुरा। |
| 2 | निरीक्षण का दिनांक | 11.01.2023 |
| 3 | निरीक्षकर्ता का नाम एवं पदनाम | कुँवर सन्तोष कुमार, सहा0पर्या0 अभियन्ता, सुरेन्द्र प्रताप, प्रयोगशाला सहायक |
| 4 | अक्षांश एवं देशान्तर | अक्षांश–27.826600 व देशान्तर–77.620971 है। |
| 5 | जिला पंचायत का रजिस्ट्रेशन | उपलब्ध नहीं कराया गया। |
| 6 | खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा है अथवा नहीं | उपलब्ध नहीं कराया गया। |
| 7 | वाणिज्य कर विभाग का रजिस्ट्रेशन | उपलब्ध नहीं कराया गया। |
| 8 | उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन0ओ0सी0/सहमति | कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे को पत्रांक–132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक 27/07/2021 के माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। |
| 9 | हाइड्रा तकनीकि/जिग–जेग का विवरण | इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट पद्यति पर आधारित है। |
| 10 | चिमनी की ऊँचाई, प्लेटफार्म, पोर्टहोल, सीढी | चिमनी की ऊँचाई–125 फीट, प्लेटफार्म–नहीं, पोर्टहोल– हां, सीढी–नहीं |
| 11 | ईट भट्ठे में स्थापित डिस्प्ले बोर्ड(है/नहीं) | नहीं। |
| 12 | ईंट भट्ठे पर वृक्षारोपण की स्थिति | आंशिक वृक्षारोपण किया गया है। |
| 13 | भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र | किराये की भूमि पर संचालित है। |
| 14 | कुल उत्पादन क्षमता प्रतिमाह/प्रतिदिन | 20000 ईंट प्रतिदिन। |
| 15 | गाइड लाइन 2012 के अनुक्रम में | बाउण्ड्री वॉल की स्थिति– नहीं, मुविंग एरिया–कच्चा, जल छिड़काव की स्थिति–एक टैंकर। |
| 16 | गाइड लाइन 2012 के अनुरूप (है/नहीं) | निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा आफ सीजन होने के कारण बन्द पाया गया। सन्दर्भित ईंट भट्ठे की चिमनी से निकटतम लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम–इनायतगढ़ स्थित है, जो कि भट्ठों की स्थापना नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं है। उद्योग की सी0टी0ई0 को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.2023 के द्वारा रियोक किया जा चुका है। अतः उक्त संदर्भित ईट भट्ठे को बन्दी आदेश जारी किये जाने सम्बन्धी आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न। |

10/02/2023
(सुरेन्द्र प्रताप)
प्रयो0 सहायक

10/02/2023
(कुँवर सन्तोष कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
10/2/2023

बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
# Regional Office, U.P. Pollution Control Board
## भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 1549/NOC-205/23 दिनांक 16/01/23

सेवा में

मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग,
खसरा सं0–79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर,
तहसील–मांट, मथुरा।

विषयः– **ईंट भट्ठा मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0–79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मांट, मथुरा को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रिवोक किये किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा आपके ईंट भट्ठे को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश सं0–132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक–27.07.2021 द्वारा प्रदान की गयी है। प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उक्त संदर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–11.01.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा ईंट भट्ठे की स्थापना का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 का उल्लंघन होना दर्शाता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण आवश्यक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा आपके उक्त संदर्भित ईंट भट्ठे को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रिवोक कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

16/01/2023
(डॉ0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी महोदय (वि0/रा0), मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/c
(AEE)

क्षेत्र

Annexure -3

बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
# Regional Office, U.P. Pollution Control Board
**भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा**

पत्रांकः 1719 | MOC-2015 | 23 दिनांक 07/02/2023

सेवा में

मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग,
खसरा सं0–79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर,
तहसील–मांट, मथुरा।

विषयः– **ईंट भट्ठा मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0–79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मांट, मथुरा को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रिवोक किये किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा आपके ईंट भट्ठे को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश सं0–132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक–27.07.2021 द्वारा प्रदान की गयी है। प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उक्त संदर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–11.01.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा ईंट भट्ठे की स्थापना का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 का उल्लंघन होना दर्शाता है। तत्क्रम में आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1549/एन0ओ0सी0–2015/2023 दिनांक 16.01.2023 द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण आवश्यक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित इस कार्यालय में 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें परन्तु आप द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रतिउत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है।

अतः उक्त संदर्भित ईंट भट्ठे को इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश सं0–132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक–27.07.2021 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21(4) के अन्तर्गत रिवोक किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि बिना राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये उक्त संदर्भित ईंट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न किया जाये।

भवदीय

07/02/20
(डॉ0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी महोदय (वि0/रा0), मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

(AEE)

Annexure - 4

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्याः H-88984 /सी–4/सा–II-759/बन्दी/2022,-23 दिनांक : 11-02-23

मै० चौधरी दिगम्बर ईट उद्योग,
खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट,
मथुरा।

मै0 चौधरी दिगम्बर ईट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, मथुरा द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कर्म्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–93/2021 मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 11.01.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भटठे का जिला पंचायत रजिस्ट्रेशन एवं खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा होने के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। ईट भटठे मे डिस्प्ले बोर्ड स्थापित नहीं है एवं न ही बाउण्ड्री वॉल बनवाई गयी है। ईंट भटठे की चिमनी से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम–इनायतपुर स्थित है, जो ईट भट्ठा स्थल हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 132022 दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से ईंट भटठे को निर्गत CTE (अनापत्ति प्रमाण पत्र) को क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा के पत्र दिनांक 07.02.2023 द्वारा रिवोक किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा पत्र संख्या–1786/ओ–72/23 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मै0 चौधरी दिगम्बर ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, मथुरा के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि मै0 चौधरी दिगम्बर ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, मथुरा के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 चौधरी दिगम्बर ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, मथुरा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एव फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site:

Annexure - 5

बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
## Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 1808 | MOC-2015/23 दिनांक 15/02/23

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
मथुरा।

विषयः **स्टार सन्दर्भ सं0–622 दिनांक 09.02.2023 एवं सन्दर्भ सं0–509/पी0ए0 दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से प्राप्त शिकायत श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री डिगम्बर सिंह, ग्राम–इनायत गढ, थाना–नौंहझील, तहसील–मॉट, मथुरा के द्वारा स्थापित ईंट भट्ठा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्टार सन्दर्भ सं0–622 दिनांक 09.02.2023 एवं सन्दर्भ सं0–509/पी0ए0 दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त शिकायत का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित शिकायत श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री डिगम्बर सिंह, ग्राम–इनायत गढ, थाना–नौंहझील, तहसील–मॉट, मथुरा के द्वारा स्थापित ईंट भट्ठा के विरूद्ध की गयी है। तत्क्रम में प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 11.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के उपरान्त सन्दर्भित ईंट भट्ठा स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप स्थापित नहीं किया गया, तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 88984/सी–4/सा–II–759/बन्दी/2022–23 दिनांक 11.02.2023 के माध्यम से सन्दर्भित ईंट भट्ठा मै0 चौधरी ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फीरोजपुर बांगर, इनायतगढ, मॉट, मथुरा को बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

अतः सन्दर्भित ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्न कर, आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

15/2/2023
(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

(AEE)

**मै0 चौधरी दिगम्बर ईंट उद्योग, खसरा सं0– 79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, इनायतगढ, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–**

उपरोक्त सन्दर्भित ईंट भट्ठे का औचक निरीक्षण दिनांक 22.04.2023 को अधोहस्ताक्षरीकर्ता द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त सन्दर्भितईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजकुमार, प्रोपराइटर उपस्थित थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा दिनांक 01.03.2023 से संचालित है। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. सन्दर्भित ईंट भट्ठा खसरा सं0– 79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, इनायतगढ, तहसील–मॉट, मथुरा पर स्थापित है, जिसके अक्षांश–27.837118, देशान्तर–77.621885 है।
2. ईंट भट्ठे द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग करके ईंट का उत्पादन–20000 प्रति/दिन किया जाता है।
3. ईंट भट्ठे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ के अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया में ईंट के निर्माण/पथाई हेतु किया जाता है।
4. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ईंधन की दैनिक खपत ईंट भट्ठे प्रतिनिधि द्वारा लगभग 3.0 टन/दिन बतायी गयी। ईंधन के जलने से जनित उत्सर्जन को भू–तल से लगभग 100 फीट ऊँची चिमनी की व्यवस्था स्थापित है।
5. सन्दर्भित ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 88984/सी–4/सा–II–759/बन्दी/2022–23 दिनांक 11.02.2023 के द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठे की फायरिंग को बन्द कराते हुऐ, ईंट भट्ठा स्वामी को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किया जाये।
6. उक्त ईंट भट्ठे द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0–93/2021 मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x0.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से 53 दिवस हेतु कुल रू0–12500x53 =6,62,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

28/04/2023
(सुरेन्द्र प्रताप)
प्रयोगशाला सहायक

28/4/23
(कुँवर सन्तोष कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

28/4/2023

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

**क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड**
**Regional Office, U.P. Pollution Control Board**
**भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा**

पत्रांकः 405/0-72/2023 दिनांक 28/04/2023

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

**विषयः मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0– 79 ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, इनायतगढ, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ईंट भट्ठे का औचक निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.04.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा संचालित पाया गया, जबकि उक्त ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच 88984/सी–4/सा–II–759/बन्दी/2022–23 दिनांक 11.02.2023 के द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उक्त बन्दी आदेश के प्रभावी होने के उपरान्त भी ईंट भट्ठे को संचालित किये जाने के कारण दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 22.04.2023 तक कुल 53 दिनों को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x0.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से 53 दिवस हेतु कुल रू0–12500x53 =6,62,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

28/4/2023
(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0, मथुरा।
उपजिलाधिकारी, तहसील–मांट, जनपद–मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

CAEO

(17) 644428749

दिनांक - 9.05.025

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष महोदय।

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण परिषद

विषय:- गांव - इनायतगढ़ थाना - नौहझील तह० मांट जि० मथुरा में सन् 2021 से चल रहे अवैध भट्टे के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन यह है कि

गांव - इनायतगढ़ - थाना - नौहझील तह० मांट जिला - मथुरा के अन्तर्गत - मैसर्स - दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग इनायतगढ़ बांगर तह० मांट जि० मथुरा. थाना - नौहझील मुख्यालय से 3 KM. दूर सन् 2021 से संचालित है संचालक - प्रियंका - चौधरी है।

1 - मै० चौधरी ईंट उद्योग इनायतगढ़ बांगर ग्रा० नौहझील तह० मांट जि० मथुरा संचालक प्रियंका - चौधरी है। ईंट उद्योगों के लिए 2012 में जो मानक तय किये गये हैं उनमें से एक भी मानक पूरा नहीं करता है। और तो और गांव इनायतगढ़ आबादी से भट्टा की दूरी 500 M से भी कम है तथा अन्य किसी मानक का भी नामो निशान नहीं है।

2 - जुलाई 2021 में मै० दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग संचालक प्रियंका - चौधरी को अनापत्ति प्रमाण पत्र फीरोजपुर बांगर के खसरा नं. 79 A जमीन पर दिया गया जहां पर आज तक किसी ईंट भट्टे का निर्माण नहीं हुआ है। अतिश्योक्ति यह है कि इसको दिसम्बर 2022 में बन्दी का आदेश दे दिया गया क्योंकि यहां से इनायतगढ़ बांगर गांव की दूरी मात्र 500 मी० है। मतलब N.O.C. बिना भौतिक सत्यापन के ही देदी गयी विचारणीय है। जिसकी सूचना जिलाखनन अधिकारी, जिला प्रशासन, जिला पंचायत प्रशासन को दे दी गयी परन्तु किसी विभाग ने न तो भट्टे को सील बन्द किया एवं संचालकों के नाम कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

3 - इनायतगढ़ बांगर ग्रा० नौहझील तह० मांट जि० मथुरा में एक ईंट भट्टे को 2015 में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जोकि इनायतगढ़ बांगर के खसरा सं. 111 में स्थित है। जिससे भी इस अवैध भट्टे की दूरी अधिकतम 500 मी० ही है।

4 - मैसर्स चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग इनायतगढ़ बांगर खसरा सं. 87 में ही 2021 में निर्माण कराया गया है जो आज तक चल रहा है। विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रशासन की आंखो में धूल झोंक दी गयी है। अथवा सभी विभागों को नशे की दवा दे दी गयी है। जो कि कभी न खुलने वाली नींद में सो गये है।

5 - अब तक इस भट्टे से 4 करोड़ ईंटों का उत्पादन हो चुका है जिनकी कीमत 25 करोड़ है। जिनकी बिक्री हो चुकी काफी संख्या में कच्चा माल अभी 50 दिन फुकाई और चलेगी कम से कम 3 करोड़ की मिट्टी का स्टाक है। 2 J.C.B तथा दर्जनों ट्रैक्टर मिट्टी के खनन में लगातार मशगूल है। कानून लगातार जारी है

6 - हम इस अवैध भट्टे की सूचना 2021 से ईमेल के जरिये आपको भी कई बार दे चुके हैं। तथा प्रशासन को भी विभिन्न माध्यमों से पहुंचा चुके है।

प्रार्थना :- महोदय से प्रार्थना की जाती है कि इनसे कम 30 करोड़ का मुआवजा वसूला जाय तथा संचालकों के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी
पीड़ित जनता गांव - इनायतगढ़ - ग्रा० नौहझील
तह० मांट जि० मथुरा उ०प्र०
पिन 281203

M.S.
19.5.25
3-
(डा० रविन्द्र प्रताप सिं...
अध्यक्ष

CEO (C-4)
नि. आ. का. करें।

(राजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ
19/05/25

Annexure - 06

बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

UPPCB

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
# Regional Office, U.P. Pollution Control Board
## भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 279A/NOC-2015/2025 — दिनांक 27/05/2025

सेवा में,

मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग,
खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, इनायतगढ,
तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा।

विषयः **मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, इनायतगढ, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि आपके ईंट भट्ठे के विरूद्ध ग्रामवासी, ग्राम–इनायतगढ, नौंहझील, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा द्वारा शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है। उक्त के सन्दर्भ में जैसा कि आप अवगत ही हैं कि आपके ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 88984/सी–4/सा–II–759/बन्दी/2022–23 दिनांक 11.02.2023 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सन्दर्भित ईंट भट्ठे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किए किसी भी दशा में न किया जाये, अन्यथा की स्थिति में उक्त सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरण अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक व अन्य कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

① 788190069

सेवामें
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण परिषद लखनऊ (उ०प्र०)

महोदय

निवेदन यह है कि ग्राम इनायतगढ़ तह० मांट जनपद मथुरा में जुलाई 2021 से मै० दिगम्बर सिंह ईट उद्योग इनायतगढ़ बांगर तह० मांट जिला मथुरा उ०प्र० में संचालित है। जिसकी संचालक प्रियन्का चौधरी है एवं मालिक सत्यपाल सिंह नि० इनायतगढ़ तह० मांट जिला मथुरा की है। एवं खसरा सं० 87 इनायतगढ़ बांगर में स्थित है। तथा 2021 से लगातार संचालित है। परन्तु जिनकी गांव से दूरी 500 मीटर से अधिक आपकी सूचना के अनुसार है।

1- मै० चौ० दिगम्बर सिंह ईट उद्योग को 21 जुलाई 2021 को खसरा सं० 79A फीरोजपुर बांगर तह० मांट जि० मथुरा (उ०प्र०) को सशर्त अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया। जबकि खसरा सं० 79A फीरोजपुर बांगर में आज तक किसी ईंट भट्ठे का निर्माण नहीं हुआ।

2- मै० चौधरी दिगम्बर सिंह ईट उद्योग को एक साल बाद बन्दी का आदेश दिया गया क्योंकि भट्टे से गांव इनायतगढ़ की दूरी मात्र 500 मी० थी।

3- मै० चौधरी दिगम्बर सिंह के नाम से इनायतगढ़ बांगर में जिन की संचालक प्रियंका चौधरी है। कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया इनायतगढ़ बांगर में एक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जयदेवावा ईट उद्योग के नाम से खसरा सं० … इनायतगढ़ बांगर में स्थित है।

M.S. 4- मै० मोहरबुनजा ईट उद्योग इनायतगढ़ बांगर के नाम से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं जारी किया गया है।

18.11.25
(डा० रविन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष

महोदय, कोई भी किसी भी प्रकार का कागज नहीं है। जहां गलत तरीके से मै० चौधरी दिगम्बर सिंह ईट उद्योग खसरा सं० 79 A फीरोजपुर बांगर तह० मांट जि० मथुरा (उ०प्र०) में अनापत्ति प्रमाण पत्र 21-7-2021 को जारी हुआ वहां पर कभी आज तक ईट भट्ठे का निर्माण हुआ ही नहीं। चार साल में 1 लाख ट्राली मिट्टी 5000 हजार ट्राली यमुना की बालू का खनन हो चुका है। जबकि 1 ट्राली बालू खनन पर जुर्माना 3 लाख + लगाया गया

CEO(C-4) प्रार्थना :: महोदय, प्रार्थना है कि इस खनन माफिया के खिलाफ कठोर एवं कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए एवं दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों को भी बराबर सजा का हकदार बनाया जाना चाहिए आपकी अति कृपा होगी

19/11/25
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

दिनांक - 12-11-025

प्रार्थी
समी ग्राम वासी
ग्राम - इनायतगढ़
पो० - नौहझील
जि० - मथुरा (उ०प्र०)

Annexure -07

# क्षेत्रीय कार्यालय,
# उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
## REGIONAL OFFICE,
## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 1079/E-26/2025 दिनांक/Date. 10/12/

सेवा में

मै0 दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग,
खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर,
तहसील–मांट, जनपद–मथुरा।

विषय:– **ऑनलाइन इण्टीग्रेटेड मॉनीटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत संदर्भ सं0–788190069 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक ऑनलाइन इण्टीग्रेटेड मॉनीटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत संदर्भ सं0–788190069 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में ग्रामवासी इनायतगढ, नौहझील, जिला–मथुरा द्वारा अपने पत्र दिनांक–12.11.2025 के माध्यम से शिकायत की गयी है कि आप द्वारा उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार ईंट भट्ठे की स्थापना नहीं की गयी है। आपके ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 88984/सी–4/सा–II–759/बन्दी/2022–23 दिनांक–27.05.2025 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है।

अतः शिकायत में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर साक्ष्यों सहित पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा भट्ठे के विरूद्व जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न किया जाये।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

**क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड**
**Regional Office, U.P. Pollution Control Board**
**भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा**

पत्रांकः 1085/NOC-2015/2025 | दिनांक 22/12/2025

सेवा में

उपजिलाधिकारी महोदय,
मॉट, मथुरा।

विषयः– **मै0 दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, ग्राम–इनायतगढ बांगर, तहसील–मॉट, जिला–मथुरा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। ग्रामवासीगण, ग्राम–इनायतगढ, नौहझील, जिला–मथुरा द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक–12.11.2025 में ईंट भट्ठा मै0 दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, ग्राम–इनायतगढ बांगर, तहसील–मॉट, जिला–मथुरा को खसरा सं0–87, इनायतगढ बांगर में स्थित होना तथा ग्राम–इनायतगढ से उक्त ईंट भट्ठे की दूरी 500 मीटर होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी मांट, मथुरा के पत्रांक–225/एस0टी0/2021 दिनांक–17.07.2021 के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक–132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक–27.07.2021 के माध्यम से मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–575/2025 दिनांक–24.11.2025 पवन बिहारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में विचाराधीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित ईंट भट्ठे की चिमनी किस खसरा नम्बर पर स्थित है, की जांच कराये जाने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा दूरी सत्यापन आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे कि शिकायती प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure -8

महोदय,

कृपया, संलग्न क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्र संख्या 1085/NOC-2015/2025 दिनांक 22.12.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मैं० दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, ग्राम इनायत गढ़ बांगर, तहसील मांट जिला मथुरा की चिमनी किस खसरा नम्बर में स्थित है और दूरी सत्यापन आख्या चाही गई है।

उक्त के सम्बन्ध में स्थलीय जॉच की गई है, अवगत कराना है कि प्रश्नगत चिमनी खसरा संख्या 87/1 ग्राम इनायत गढ़ बांगर तहसील मांट, मथुरा में स्थित है, ग्राम इनायत गढ़ बांगर के खसरा संख्या 87/1 व खसरा सं० 79अ की भूमि धर्मपाल सिंह व सत्यपाल सिंह पुत्रगण डिगम्बर सिंह निवासी इनायतगढ़ बांगर के नाम दर्ज उद्धरण खतौनी हैं। स्थापित चिमनी, नजदीकी आबादी ग्राम इनायत गढ़ बांगर से 500 मीटर दूरी पर स्थित हैं।

अतएव, उपरोक्तानुसार वॉछित आख्या सेवा में प्रेषित है।

(signature) LT
06-01-26.

(signature)
राजस्व निरीक्षक/

महोदया,
ना० तहसीलदार आख्या अग्रसारित। (signature) Teh (M)
07/01/26

उप जिलाधिकारी
07/01/2026
मांट (मथुरा)

Scanned with OKEN Scanner

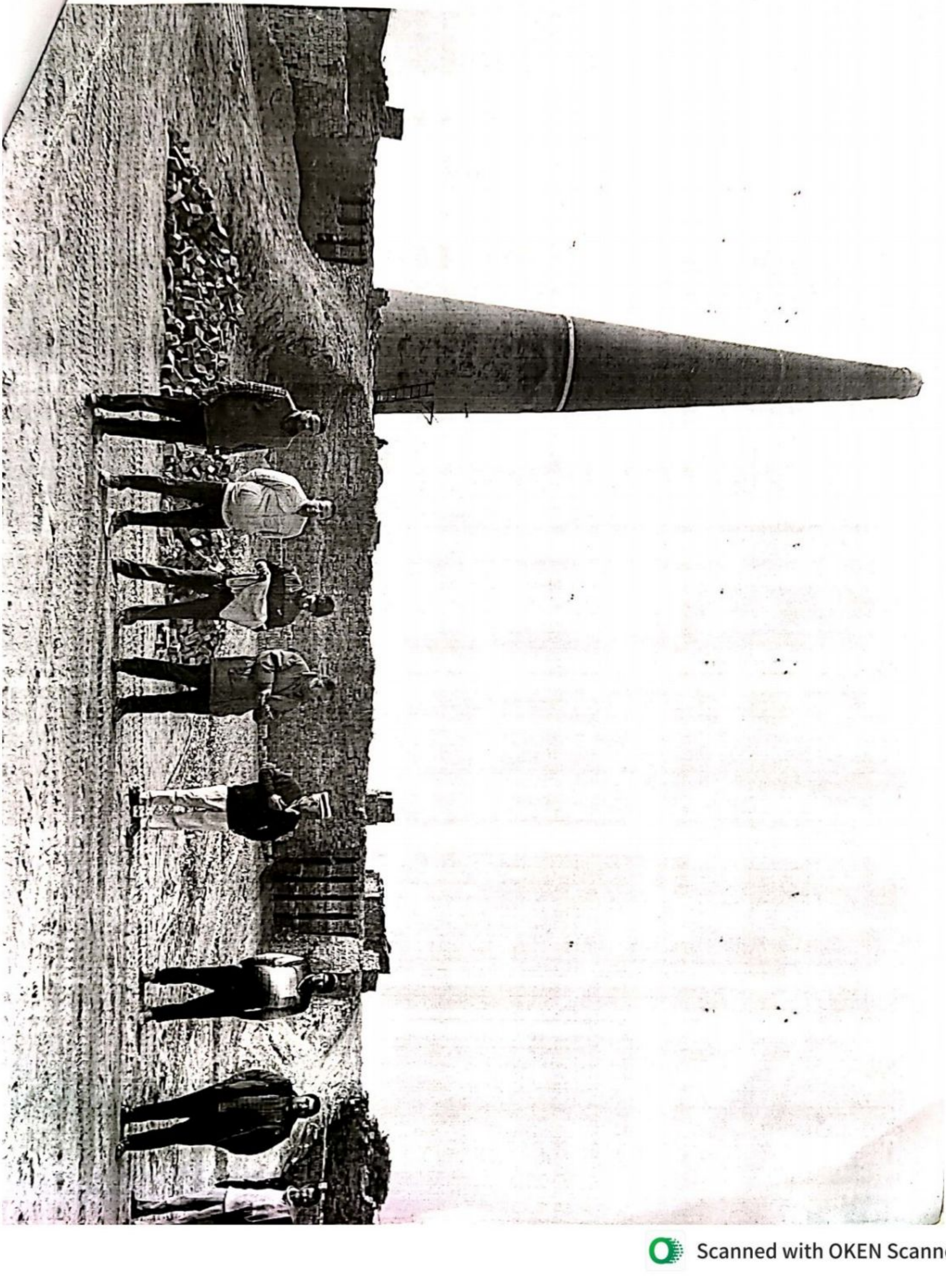

# उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 123878202601155

ग्राम क्रमांक : 123878 ग्राम का नाम (परगना) : इनायतगढ़ बांगर(नौहझील) तहसील : मांट जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) . भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00027

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खसरा/ गाटा संख्या | (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (यूनीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) खातेदार द्वारा दे भू-राजस्व |
| 87/1 | 1) धर्मपाल सिंह / डिगम्बर सिंह /<br>2) सत्यपाल सिंह / डिगम्बर सिंह / नि.ग्राम | 1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20241145007620002262 / 16-02-2024 / वरासत | 1387फ | 87/1(123878008710011 2) | 1.2650 | 1) -<br>2) - | 1) 0.6325<br>2) 0.6325 | 33.65 |
| | | | | | | | 1.2650 | |

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 1.2650 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 33.65 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 1.2650)(हेक्टेयर)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | खारिज किया गया | | | दर्ज किया गया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (13) क्षेत्रफल (हे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (16) क्षेत्रफल (हे.) |
| 1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20241145007620002262 / 16-02-2024 / वरासत / MOHAN SINGH / 29-02-2024 | 1.1) डिगम्बर सिंह / खिल्लू / नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) | 87/1(123878008710011 2) | 1.1) 1.2650 | 1.1) धर्मपाल सिंह / डिगम्बर सिंह /<br>1.2) सत्यपाल सिंह / डिगम्बर सिंह / नि.ग्राम | 87/1(123878008710011 2) | 1.1) 0.6325<br>1.2) 0.6325 |

कार्यालय तहसीलदार मांट (मथुरा) — मोहर

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

...होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

Scanned with OKEN Scanner

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम कोड बंधक-मुक्त का दिनांक धनराशि आवेदन संख्या खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) शा.प्र. सिंडीकेट बैंक नौहझील मे खातेदार दिगम्बरसिंह पुत्र खिल्लू ने दि. 26.10.12 कोमु. 300000/- कर्जा लेकर अपने हिस्सेको बन्धक कर दिया है।ह.आर.के. 03.11.12/6.11.12 (डिजिटल हस्ताक्षर: SUMMER SINGH / 19-11-2018)

2) शा.प्र. केनरा बैंक नौहझील मे डिगम्बर पुत्र खिल्लू द्वारा दि. 26.10.2012 को लिया गया कर्जा मय ब्याज के दि. 13.12.2022 को अदा कर दिया है ह.आर.के.22.12.2022 (डिजिटल हस्ताक्षर: MOHAN SINGH / 23-12-2022)

पूर्व आदेशों का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| **Data Digitally Signed by:MOHAN SINGH(RAGITRAR KANOONGO)**<br>दिनांक समय स्थान: 06-01-2026 06:03:33 तहसील : मांट<br>यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। | मुद्रित कर्ता : MOHAN SINGH तहसील : मांट<br>मुद्रित दिनांक एवं समय: 06-01-2026 06:03:33<br>Not Applicable For Online Posts उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वैरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है। | |

कार्यालय तहसीलदार मॉंट (मथुरा)
भूलेख अनुभाग
ग्राम कर्मी

Scanned with OKEN Scanner

# उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 123878202601156

ग्राम क्रमांक : 123878 ग्राम का नाम (परगना) : इनायतपुर बांगर(नौहझील) तहसील : मांट जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00027

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खसरा खाता संख्या | (2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (यूनीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व |
| 793अ | 1) धर्मपाल सिंह / डिगम्बर सिंह /<br>2) सत्यपाल सिंह / डिगम्बर सिंह / नि.ग्राम | 1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 202411450076200262 / 16-02-2024 / दरासत | 1395फ | 793अ(1238780079200112) | 0.8090 | 1) -<br>2) - | 1) 0.4045<br>2) 0.4045 | 21.50 |
| | | | | | | | 0.8090 | |

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.8090 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 21.50 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.8090)(हेक्टेयर)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | खारिज किया गया | | | दर्ज किया गया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (13) क्षेत्रफल (हे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (16) क्षेत्रफल (हे.) |
| 1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 202411450076200262 / 16-02-2024 / दरासत / MOHAN SINGH / 29-02-2024 | 1.1) डिगम्बर सिंह / खिल्लू / नि.ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) | 793अ(1238780079200112) | 1.1) 0.8090 | 1.1) धर्मपाल सिंह / डिगम्बर सिंह /<br>1.2) सत्यपाल सिंह / डिगम्बर सिंह / नि.ग्राम | 793अ(1238780079200112) | 1.1) 0.4045<br>1.2) 0.4045 |

कार्यालय तहसीलदार मांट (मथुरा)

(17)भूमि के सन्दर्भ में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

... की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



Scanned with OKEN Scanner

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) श्रा.प. सिंडीकेट बैंक नौहझील मे खातेदार दिगम्बरसिंह पुत्र खिल्लू ने दि. 26.10.12 कोमु. 300000/- कर्जा लेकर अपने हिस्सेको बन्धक कर दिया है।ह.आर.के. 03.11.12/6.11.12 (डिजिटल हस्ताक्षर: SUMMER SINGH / 19-11-2018)

2) श्रा.प. केनरा बैंक नौहझील में डिगम्बर पुत्र खिल्लू द्वारा दि. 26.10.2012 को लिया गया कर्जा मय ब्याज के दि. 13.12.2022 को अदा कर दिया है ह.आर.के.22.12.2022 (डिजिटल हस्ताक्षर: MOHAN SINGH / 23-12-2022)

<u>पूर्व आदेशों का विवरण</u>

| | | |
|---|---|---|
| **Data Digitally Signed by:MOHAN SINGH(RAGITRAR KANOONGO)**<br>**दिनांक/समय/स्थान: 06-01-2026 06:05:27 तहसील : मांट**<br>यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। | मुद्रित कर्ता : MOHAN SINGH तहसील : मांट<br>मुद्रित दिनांक एवं समय: 06-01-2026 06:05:27<br>Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वैरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है। | |

कार्यालय तहसीलदार मांट (मथुरा)

वेब साइट:- www.uppcb.com
ई-मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 1085/NOC-2015/2025

दिनांक 22/12/2025

सेवा में
उपजिलाधिकारी महोदय,
मॉट, मथुरा।

विषयः– मै0 दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, ग्राम–इनायतगढ बांगर, तहसील–मॉट, जिला–मथुरा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। ग्रामवासीगण, ग्राम–इनायतगढ, तहसील, जिला–मथुरा द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक–12.11.2025 में ईंट भट्ठा मै0 दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, ग्राम–इनायतगढ बांगर, तहसील–मॉट, जिला–मथुरा को खसरा सं0–87, इनायतगढ बांगर में स्थित होना तथा ग्राम–इनायतगढ से उक्त ईंट भट्ठे की दूरी 500 मीटर होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी मांट, मथुरा के पत्रांक–225/एस0टी0/2021 दिनांक–17.07.2021 के आधार पर इस कार्यायल के पत्रांक–132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक–27.07.2021 के माध्यम से चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–575/2025 दिनांक–24.11.2025 पवन बिहारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में विचाराधीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित ईंट भट्ठे की चिमनी किस खसरा नम्बर पर स्थित है, की जांच कराये जाने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा दूरी सत्यापन आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे कि शिकायती प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

1325
T (Naujheel) (नायब तहसीलदार)
8
5/1/26
जिलाधिकारी
मॉट (मथुरा)

वेब साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

**क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड**
**Regional Office, U.P. Pollution Control Board**
**भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा**

दिनांक 22/12/2025

पत्रांक: 1085/NOC-2015/2025

सेवा में
उपजिलाधिकारी महोदय,
मॉट, मथुरा।

विषयः– **मै0 दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, ग्राम–इनायतगढ बांगर, तहसील–मॉट, जिला–मथुरा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। ग्रामवासीगण, ग्राम–इनायतगढ, तहझील, जिला–मथुरा द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक–12.11.2025 में ईंट भट्ठा मै0 दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, ग्राम–इनायतगढ बांगर, तहसील–मॉट, जिला–मथुरा को खसरा सं0–87, इनायतगढ बांगर में स्थित होना तथा ग्राम–इनायतगढ से उक्त ईंट भट्ठे की दूरी 500 मीटर होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी मांट, मथुरा के पत्रांक–225/एस0टी0/2021 दिनांक–17.07.2021 के आधार पर इस कार्यायल के पत्रांक–132022/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक–27.07.2021 के माध्यम से मै0 चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग, खसरा सं0–79ए, ग्राम–फिरोजपुर बांगर, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–575/2025 दिनांक–24.11.2025 पवन बिहारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में विचाराधीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित ईंट भट्ठे की चिमनी किस खसरा नम्बर पर स्थित है, की जांच कराये जाने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा दूरी सत्यापन आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे कि शिकायती प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके।

भवदीय
(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मथुरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

उप जिलाधिकारी
मॉट (मथुरा)

NT (Nayib Tehsildar) 8 5/1/26

Scanned with OKEN Scanner

① 7881900069 62

सेवा में
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण परिषद लखनऊ (उ०प्र०)

महोदय,
निवेदन यह है कि ग्राम इनायतगढ़ तह० मांट जनपद मथुरा में जुलाई 2021 से मै० दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग इनायतगढ़ बांगर तह० मांट जिला मथुरा उ०प्र० में संचालित है। जिसकी संचालक प्रियंका चौधरी है एवं मालिक सत्यपाल सिंह नि० इनायतगढ़ तह० मांट जिला मथुरा है। एवं खसरा सं० 87 इनायतगढ़ बांगर में स्थित है। तथा 2021 से लगातार संचालित है। परन्तु जिसकी गांव से दूरी 500 मीटर से कम है। आपकी सूचना के अनुसार

1- मै० चौ० दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग को 21 जुलाई 2021 को खसरा सं० 79A फीरोजपुर बांगर तह० मांट जि० मथुरा (उ०प्र०) को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। जबकि खसरा सं० 79A फीरोजपुर बांगर में आज तक किसी ईंट भट्ठे का निर्माण नहीं हुआ।

2- मै० चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग को एक साल बाद बन्दी का आदेश दिया गया क्योंकि भट्ठे से गांव इनायतगढ़ की दूरी मात्र 500 मी० थी।

3- मै० चौधरी दिगम्बर सिंह के नाम से इनायतगढ़ बांगर में जिसकी संचालक प्रियंका चौधरी है। कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया इनायतगढ़ बांगर में एक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र ... ईंट उद्योग के नाम से खसरा ... इनायतगढ़ बांगर में स्थित है।

4- मै० मां शकुन्तला ईंट उद्योग इनायतगढ़ बांगर के नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया है

महोदय, कोई भी किसी भी प्रकार का कागज नहीं है। जहां गलत तरीके से मै० चौधरी दिगम्बर सिंह ईंट उद्योग खसरा सं० 79 A फीरोजपुर बांगर तह० मांट जि० मथुरा (उ०प्र०) में अनापत्ति प्रमाण पत्र 21-7-2021 को जारी किया गया वहां पर कभी आज तक ईंट भट्ठे का निर्माण हुआ ही नहीं।
चार सीजन में 9 लाख ट्राली मिट्टी 5000 हजार ट्राली यमुना की बालू का खनन हो चुका है। जबकि 1 ट्राली बालू खनन पर जुर्माना 3 लाख + लगाया गया

प्रार्थना: महोदय, प्रार्थना है कि इस खनन माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए एवं दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों को भी बराबर सजा का हकदार बनाया जाना चाहिए। आपकी अति कृपा होगी

M.S.
18.11.25
डा० रविन्द्र प्रताप सिंह
...

CEO (C-4)

19/11/25
(राजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

दिनांक - 12-11-025

प्रार्थी
समस्त ग्राम वासी
ग्राम - इनायतगढ़
पो० - नौहझील
जि० - मथुरा (उ०प्र०)

(107) INDIA NON JUDICIAL



**Government of Uttar Pradesh**

IN-UP38753173012872Y

**e-Stamp**

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP38753173012872Y |
| Certificate Issued Date | : | 07-Jan-2026 01:26 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14873304/ MANT/ UP-MTH |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP1487330473866500569443Y |
| Purchased by | : | SATPAL SINGH AND OTHERS |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | SATPAL SINGH AND OTHERS |
| Second Party | : | Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : | SATPAL SINGH AND OTHERS |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

शपथ-पत्र

समक्ष:-

श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय,

शपथ पत्र मिनजानिव सतपालसिंह व धर्मपालसिंह पुत्रगण स्व. डिगम्बरसिंह निवासीगण इनायतगढ तह0 मांट जिला मथुरा शपथ पूर्वक धर्म से निम्न ब्यान करते है कि----

1- यह है कि शपथकर्तागण उपरोक्त पते के स्थाई निवासी है।

2- यह है कि शपथकर्तागण द्वारा अपनी आराजी खसरासं0 87अ, 79अ, स्थित मौजा इनायतगढ बांगर तह0 मांट जिला मथुरा भट्टा के संचालन हेतु प्रियंका चौधरी के हक मे लिखा पढी की थी।

3- यह है कि शपथकर्तागण की भूमि पर संचालित भट्टा के सम्बन्ध मे उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गयी थी उस संख्या 87अ व 79 अ पर सीमांकन चिन्ह नही थी जिस समय भट्टे का संचालन प्रारम्भ हुआ तो ईट रखने के हिसाब से चिमनी 10 या 5 मीटर इधर उधर हो गयी होगी।

4- यह है कि हम शपथकर्तागण को चिमनी के 10 या 5 मीटर इधर उधर होने स्वयं ईट रख रखाव हेतु सीमा से अधिक भूमि प्रयोग होने मे कोई आपत्तिनही है न हमको भट्टा संचालन मे कोई आपत्ति है।

5- यह है कि शपथ पत्र की मद। लगायत 4 हमारे ब्यान मे सही है। ईश्वर हमारी मदद करे।

7-1-26

शपथकर्तागण

सतपालसिंह

Statutory Alert: The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

Scanned with OKEN Scanner